

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 548/2025
धर्मपाल यादव, निवासी आरजेडएच 233/ई, गली नम्बर 07 राज नगर पार्ट नम्बर 02 पालन कॉलोनी, ग्राम पुहानिया पंचायत
समिति सिंधाना झुंझुनू

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 22.01.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 548/2025 पर दिनांक 18.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/5410- दिनांक 18.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय/सू.अ./2025/67 दिनांक 19.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू.अ./2025/03 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा तहसीलदार बुहाना को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक 20 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू.अ./2025/03 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा तहसीलदार बुहाना को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक 20 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है। अपीलार्थी को वांछित सूचना दी जा चुकी है परन्तु अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को सूचना नहीं दी गई है। लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय में आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. अरुण गर्ग)

जिला कलक्टर झुंझुनू